न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 166/2020 **दायर दिनांकः 21.10.2020**

उनवान

1. देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी दोरानी तहसील सांगोद जिला कोटा। (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :–
वादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा
प्रतिवादी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनाकः 27.03.2025

वादी ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर टी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि खाता संख्या 30 का ख0नं0 113 की 1.45 है0 किस्म नहरी आराजी ग्राम आमली जागीर तहसील अटरू जिला बारां में वादी के संयुक्त खाते में दर्ज है। वादी का नाम जमाबन्दी में राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल दर्ज है। जबकि आधार कार्ड, राशन कार्ड, आई0डी0 व टी0सी0 में देवेश शर्मा दर्ज है। वादी का नाम जमाबन्दी व अन्य कागजात में अलग अलग नाम होने से वादी उक्त आराजी पर राजस्व रिकार्ड द्वारा दी जा रही सहायता का उपभोग डबल नाम होने से नही कर सकता है। इसलिए वादी को अन्य दस्तावेजात के आधार पर जमाबन्दी में देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल [illegible] जाति ब्राहम्ण निवासी दोरानी तहसील सांगोद दर्ज करवाना आवश्यक है। जिसके लिए [illegible] ने रेवेन्यु कर्मचारियों से कितनी ही बार मौखिक तौर पर निवेदन किया है लेकिन अभी तक वादी का खाते में नाम परिवर्तन नही किया गया है। इसलिए वादी राज्य सरकार से दी जाने वाली सुविधा प्राप्त नही कर पा रहा है। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम खाते में दर्ज करवाना सम्भव नही है। इसलिए यह वाद पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:46:58 IST
Reason: SelfAttested

माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। वादी ने दिनांक 15.09.2020 को संबंधित हल्का पटवारी व अन्य कर्मचारियों से भी जब वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का मुआवजा आदि राज्य सरकार से प्राप्त नही हुआ तक मौखिक निवेदन किया तब भी राजस्व कर्मचारियों ने वादी को टालमटोल कर दिया और कहा कि कर देंगे। इस कारण वाद कारण भी राजस्व कर्मचारियों के अन्तिम बार टालमटोल दिनांक 15.09.2020 पर करने पर उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आरजीयात ग्राम आमली जागीर तहसील अटरू जिला बारां में होने से व ग्राम आमली जागीर की जमाबन्दी में वादी का नाम देवेश शर्मा की जगह राकेश शर्मा दर्ज हो रहा है जो माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है और श्रवण योग्य है। वाद उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। वाद अवधि मध्य पेश है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से व वाद दुरस्ती का होने से उसे आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी के विरूद्व प्रतिवादी सादिर फरमाई जावे किः—

(अ) ग्राम आमली जागीर तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 30 की नवीन जमाबन्दी ख0नं0 113 का रकबा 1.43 है0 आराजी में वादी का नाम राकेश कुमार पुत्र बाबूलाल शर्मा के स्थान पर देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा निवासी दोरानी तहसील सांगोद जिला कोटा दर्ज किया जावे और राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा वाद व्यय प्रतिवादी से दिलवाया जावें।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में राकेश कुमार के स्थान पर शीतल कुमार पढकर पत्रावली में कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा पेश नहीं करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया।

साक्ष्यवादी के तहत pw 1 देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी दोरानी तहसील सांगोद जिला कोटा का शपथ पत्र पेश किया गया तथा शपथ पत्र pw 1 के बयान लेखबद्ध किये गये। साक्ष्यवादी ने बताया कि ग्राम एवं माल आमली जागीर की खाता संख्या 30 का ख0नं0 113 का रकबा 1.45 है0 आराजी में वादी का नाम शीतल कुमार पुत्र बाबूलाल शर्मा

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:46:58 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज है जबकि वादी का राशन कार्ड, आधार कार्ड, आई0डी0 व टी0सी0 आदि में नाम देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा दर्ज है। उक्त आराजी में में मेरा नाम शीतल कुमार पुत्र बाबूलाल शर्मा के स्थान पर देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल करवाकर खाते में दुरस्त करवा कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावें।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार अटरू से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू द्वारा रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/2025/145 दिनांक 15.01.2025 से रिपोर्ट पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अनुसार उक्त नाम वसीयत के नामान्तकरण संख्या 18 दिनांक 20.05.2017 के आधार पर दर्ज किया गया है।

अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम आमली जागीर की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071—2074 के ख0नं0 113 रकबा 1.45 है0 आराजी राकेश कुमार व शीतल कुमार के शामलाती खाता दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा निहीत है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी ग्राम व माल आमलीजागीर खाता संख्या 30 सम्वत 2071—2074, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, आदि का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवरण, विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादी का कर्मचारीगण द्वारा गलत दर्ज किया जाना साबित नही होता है। अतः ग्राम एवं माल आमली जागीर की खाता संख्या 30 का ख0नं0 113 का रकबा 1.45 है0 आराजी में खातेदार शीतल कुमार पुत्र बाबूलाल के स्थान पर देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः वादी का वादपत्र खारिज किया जाता है।

<u>—:क्रियात्मक आदेशः—</u>

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम एवं माल आमली जागीर की खाता संख्या 30 का ख0नं0 113 का रकबा 1.45 है0 आराजी के संबंध में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2025 को द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:46:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. ओम प्रकाश चन्देलिया (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 166/2020 **दायर दिनांकः 21.10.2020**

उनवान

1. देवेश शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी दोरानी तहसील सांगोद जिला कोटा। (राज.)

वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 90 आर0टी0एक्ट0 एवं 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :-
वादीगणः- विद्वान अभिभाषक श्री महेन्द्र सिंह हाडा।

मिनजानित मुदई रूबरू ....ग...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। ग्राम एवं माल आमली जागीर की खाता संख्या 30 का ख0नं0 113 का रकबा 1.45 है0 आराजी के संबंध में वादी का वाद पत्र खारिज किया जाता है।

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....ग...................... मुबालिक ....ग................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......ग.............................. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....ग.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 27.03.2025 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2025.04.21 11:46:58 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)